



2026:AHC:56614

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6405 वर्ष 2026

बबलू यादव @ बिल्ला

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: मनीष यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय सं. - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष यादव, श्री अनूप त्रिवेदी, विद्वान अपर महाधिवक्ता, श्री पंकज सक्सेना, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
2. धारा 309(6), 317(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन- एटमडदौला, जिला आगरा के तहत मुकदमा अपराध संख्या 401 वर्ष 2025 में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान जमानत आवेदन दायर किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. इस मामले की सुनवाई 13 मार्च, 2026 को हुई थी। उस तारीख को, न्यायालय ने पाया कि हालांकि संयुक्त निदेशक (अभियोजन), उच्च न्यायालय इलाहाबाद के कार्यालय द्वारा 16.02.2026 को संबंधित पैरोकर को नोटिस सौंपा गया था और 24.02.2026 को अनुस्मारक भी भेजा गया था, लेकिन 13 मार्च, 2026 तक निर्देश नहीं दिए गए थे। इसलिए, इस न्यायालय ने पुलिस आयुक्त, आगरा के साथ-साथ अभियोजन निदेशक, उत्तर प्रदेश को न्यायालय की सहायता के लिए वीसी के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

4. आज, पुलिस आयुक्त, आगरा की ओर से छूट आवेदन के साथ अनुपालन का एक हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति की आगामी यात्रा में उनकी आधिकारिक व्यस्तता के कारण, वह व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और श्री राम बदन सिंह, अपर पुलिस आयुक्त, आगरा को वी.सी.

5. उपरोक्त अनुपालन हलफनामे के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि संबंधित जांच अधिकारी 23.02.2026 को जमानत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय को निर्देश भेजने में लापरवाही बरती गई थी। हलफनामे में आगे उल्लेख किया गया था कि संबंधित आईओ को निलंबित कर दिया गया था और उसके खिलाफ जांच का निर्देश दिया गया था। अनुपालन हलफनामे के पैरा 8 में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित आई.ओ. ने 11.03.2026 को निर्देशों पर हस्ताक्षर किए हैं और 13.03.2026 को दोपहर 3.07 बजे ईमेल के माध्यम से संयुक्त निदेशक (अभियोजन), उच्च न्यायालय इलाहाबाद के कार्यालय को नोटिस भेजा है जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। आगरा के अपर पुलिस आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी और पुलिस आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय को निर्देश भेजे जाएं।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. श्री अनूप त्रिवेदी, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने भी सूचित किया है कि उन्होंने शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय को जमानत मामलों में निर्देशों के संबंध में सतर्क रहने का निर्देश दिया है और इस संबंध में जिला पुलिस प्रमुख को पत्र भी भेजे जाएं। उन्होंने आगे बताया कि आपराधिक रिट और बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रति शासकीय कार्यालय के कार्यालय में स्कैन की जा रही है और आज की तारीख में, कर्मचारियों की कमी के कारण जमानत आवेदनों को स्कैन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध होंगे, जमानत आवेदनों को भी स्कैन और डिजिटल किया जाएगा। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि अलर्ट भेजने के साथ-साथ सभी हितधारकों को डिजिटल डेटा तक पहुंचने के लिए एक ई-मनु ऐप तैयार किया गया है। उन्होंने ई-मनु ऐप पर रियल टाइम डेटा फीड करने और ई-मनु ऐप की दक्षता बढ़ाने के सुझाव के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (कानून) और विधि परामर्शी (एलआर) को दिनांक 03.01.2026 को एक पत्र भी भेजा है।

7. अपर महाधिवक्ता के उपरोक्त सुझाव को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि राज्य सरकार को शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए ताकि वास्तविक समय डेटा फीड किया जा सके और साथ ही जमानत आवेदनों सहित अन्य आपराधिक फाइलों को स्कैन किया जा सके, ताकि पुलिस और अन्य एजेंसियों से आवश्यक निर्देश शीघ्रता से प्राप्त किए जा सकें।

8. उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (कानून) के साथ-साथ मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को निर्देश दिए जाते हैं कि वे इस मामले को देखें और शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय के लिए कुशल कर्मचारी उपलब्ध कराएं और साथ ही ई-मनु ऐप पर डेटा को समय पर फीड करें।

9. इस न्यायालय ने आगे कहा कि शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय के साथ-साथ संयुक्त निदेशक, अभियोजन, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के कार्यालय में दक्षता बढ़ाने के लिए, युवा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अधिवक्ताओं या नए कानून स्नातक, जो कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी से अच्छी तरह वाकिफ हैं, को ओडिशा राज्य (महाधिवक्ता का कार्यालय) की तरह अनुसंधान एसोसिएट्स के रूप में मानद आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

10. निदेशक अभियोजन को भी इस मुद्दे को देखने और उपचारात्मक उपायों के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया जाता है।

11. पुलिस आयुक्त, आगरा की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है, अभियोजन निदेशक, उत्तर प्रदेश और संयुक्त निदेशक, अभियोजन, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को छूट दी गई है।

12. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर में उनका नाम नहीं था। इसके बाद आवेदक को दो अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया और 500 रुपये की बरामदगी के आधार पर, मोटरसाइकिल के पास एक देशी पिस्तौल और स्क्रेप का एक बैग बरामद किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। उन्होंने अंत में प्रस्तुत किया कि आवेदक ने साथ के हलफनामे में चार मामलों के आपराधिक इतिहास के बारे में बताया है और वह 02.01.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया लेकिन उपरोक्त तथ्य पर विवाद नहीं कर सके।

14. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और निचली न्यायालयों के समक्ष भीड़भाड़ वाली जेलों और आपराधिक मामलों के भारी लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए साथ ही 2025 में रिपोर्ट किए गए कपिल वधावन बनाम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के जनादेश पर विचार करना एससीसी ऑनलाइन एससी (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, मैं अपने रिट याचिका संख्या 3038 से अनुरोध करता हूं और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर छूट का हकदार है।

15. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- बबलू यादव @ बिल्ला को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

16. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

17. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर जारी किया जाएगा और संबंधित अधिवक्ता

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

19. यह निदेश दिया जाता है कि विचारण कोर्ट आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

20. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति, संदर्भ में: स्वतः रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

21. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश को प्रमुख सचिव (कानून), मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ अभियोजन निदेशक, उत्तर प्रदेश को इसके अनुपालन के लिए संप्रेषित करें।

मार्च 19, 2026

ए.के.आर.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"